न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला—अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्या :—12/01/2026 ऑनलाईन नम्बर:— 2026/23 प्रवेश तिथि:— 12.01.2026

1. रामबाबू बलाई पुत्र श्री भगवान सहाय बलाई निवासी दूंदपुरी तहसील टहला जिला अलवर।
..........................अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तिलवाड़ पंचायत समिति राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
2. सरकार जरियें तहसीलदार साहब टहला जिला अलवर।

..........................रेस्पोंडेन्ट

अपील बनाराजगी नामान्तकरण संख्या 41
निर्णय दिनांक 09.01.1997 वाके ग्राम पंचायत तिलवाड़
तहसील राजगढ़ जिला अलवर
उपस्थित — 1. श्री सतीश शर्मा एड0 अपीलान्ट

—:निर्णय:— दिनांक 06/02/2026

1 आज यह अपील वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वकील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 501/0.38, 509/0.22, 510/0.23, 511/0.20, 512/0.27, 513/0.22, 514/0.22, 515/0.05, 516/0.07, 523/0.10 है0 वाके ग्राम दुंदपुरी तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जिसका इन्तकाल संख्या 41 निर्णय दिनांक 09.01.1997 ग्राम पंचायत तिलवाड के द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। उपरोक्त आराजी अपीलान्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी का अपीलान्ट 1/18 हिस्से का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। पूर्व में अपीलांट का पिता भगवान सहाय उक्त आराजी का काबिज होकर काश्त किया करता था। कालान्तर में अपीलान्ट के पिता भगवानसहाय का स्वर्गवास हो गया। जिस पर मृतक भगवान सहाय की खातेदारी की उक्त आराजी के विरासत का इंतकाल दर्ज कराने बाबत रेस्पोडेंट संख्या 01 के समक्ष आवेदन किया। जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा दिनांक 09.01.1997 को मृतक भगवान सहाय की विरासत का इंतकाल संख्या 41 अपीलांट व उसके भाई मंगलराज, माता मन्नी के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार फरमाया गया। किन्तु सहवन से अपीलांट का नाम रामबाबू के स्थान पर बुच्चाराम दर्ज कर दिया गया। अन्त में वकील अपीलान्टन ने नामान्तकरण संख्या 41 निर्णय दिनांक 09.01.1997 वाके ग्राम दुंदपुरी तहसील टहला जिला अलवर को रिमाण्ड किया जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 01 बाद सुचना तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अरालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से कोई जवाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है—

आराजी खसरा संख्य 501/0.38, 509/0.22, 510/0.23, 511/0.20, 512/0.27, 513/0.22, 514/0.22, 515/0.05, 516/0.07, 523/0.10 है0 वाके ग्राम दुंदपुरी तहसील टहला जिला अलवर में बुच्चराम पुत्र भगवान सहाय जाति बलाई हिस्सा 1/18 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मौके पर उपस्थितयान लोगो द्वारा बताया गया की बुच्चाराम का दुसरा नाम रामबाबू है। अन्य दस्तावेजो में बुच्चाराम का नाम रामबाबू दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बुच्चाराम दर्फ रामबाबू दर्ज किया जाने की अनुशंषा की जाती है।

3. बहस वकील अपीलान्ट की सुनी। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया मात्र एवं निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्य501/0.38, 509/0.22, 510/0.23, 511/0.20, 512/0.27, 513/0.22, 514/0.22, 515/0.05, 516/0.07, 523/0.10 है0 वाके ग्राम दुंदपुरी तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जिसका इन्तकाल संख्या 41 निर्णय दिनांक 09.01.1997 ग्राम पंचायत दुन्दपुरी तहसील टहला के द्वारा स्वीकार फरमा दिया गया। अन्त में वकील अपीलान्टन ने नामान्तकरण संख्या 41 निर्णय दिनांक 09.01.1997 वाके ग्राम दुंदपुरी तहसील टहला जिला अलवर को रिमाण्ड किया जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में बहस अपीलान्ट पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स/रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दुस्तावेजात नकल नामान्तकरण संख्या 41 निर्णय दिनांक 09.01.1997 पटवारी हल्का तिलवाड व मौके पर्चा का भी अवलोकन किया। उक्त अवलोकन के बाद यह स्थिति स्पष्ट है कि बच्चुराम का दुसरा नाम रामाबाबू है। पटवारी हल्का ने बुच्चाराम उर्फ रामबाबू की जाने की अनुशंषा की गई है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाता उचित प्रतीत होता है।

आदेश है की

अपील अपीलान्ट विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत तिलवाड पंचायत समिति राजगढ बाबत् इन्तकाल संख्या 41 निर्णय दिनांक 09.01.1997 आराजी खसरा संख्या 501/0.38, 509/0.22, 510/0.23, 511/0.20, 512/0.27, 513/0.22, 514/0.22, 515/0.05, 516/0.07, 523/0.10 है0 वाके ग्राम दुंदपुरी तहसील टहला जिला अलवर की अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टहला जिला अलवर को आदेश दिये जाते है कि *आदेश ग्राम पंचायत तिलवाड के नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 09.01.1997 को खारीज/निरस्त/अस्वीकार किया जाता है। आप मृतक भगवान सहाय के वारिसान रामबाबू उर्फ बच्चुराम की जॉच कर पुनः इन्तकाल/नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज यथावत रहे।*

निर्णय आज दिनांक 06/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हों।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर